<u>आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार:</u>

1. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत कौन से उम्मीदवार आरक्षण के हकदार हैं?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वो उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की योजना में शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है, वे भारत सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण के हकदार हैं।

2. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी होगी ?

उत्तर : आरक्षण की स्थिति अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों सहित विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या मांगकर्ता विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई भर्ती मांगों में दर्शायी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तद्नुसार आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन में प्रकाशित की जाती है।

3. क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार हैं?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार नहीं हैं।

4. क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार चयन के लिए मानकों में शिथिलता के हकदार हैं?

उत्तर : प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने की आवश्यकता के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लघुसूची तैयार करने संबंधी मानदंड निचले स्तर पर तय किए जा सकते हैं।

5. क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है?

उत्तर: आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है तथा उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करने में छूट प्राप्त **नहीं** होती है।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम उपयुक्तता अंक कितने होते हैं?

उत्तर : साक्षात्कार में उम्मीदवारों को 100 अंकों में से अंक दिए जाते हैं। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्तता के न्यूनतम मानक अंक 50 हैं; आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भी साक्षात्कार में न्यूनतम उपयुक्तता अंक 50 है जोकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के समान है।

…..